10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

175

निगरानी /अ–6/2016–17

I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2395

01. दरौवा तनय श्री सूरा चमार
02. ननकोला तनय श्री सूरा चमार

निवासीगण ग्राम मझगवॉकला तहसील बिजावर

राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

रामबाई उर्फ रामकली बेवा बलकू चमार

निवासी ग्राम पीरा तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के द्वारा 38 अपील 15–16 मे पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 से दुःखित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है–

01. यह कि भूमि खसरा नं0 892, 893, 894, 895, 896, 898, व 899 कुल किता 7 एकत्र रकवा 1.352हे0 स्थित ग्राम मझगुवॉकला प0ह0नं0 63 राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि है जो वर्तमान में निगरानीकर्तागणो के नाम सामान हक हिस्सा पर दर्ज है।
02. यह कि विवादित भूमि निगरानीकर्तागण की पैत्रिक सम्पत्ति है जो सूरा के नाम दर्ज थी सूरा के कुल तीन सन्ताने ननकोला, बहोरा (मृत) दरौवा बहोरा पुत्र बलकू (लाबल्द मृत) बलकू की पत्नी रामबाई उर्फ रामकली बलकू के जीवनकाल में ग्राम चुरारन सामाजिक रीतिरिवाज से छोड़ छुट्टी कराकर चली गई थी निगरानीकर्ता की जाति ब्रादरी मे सामाज के सामने छोड छुटटी करने व दूसरी पत्नी रखने की रूढी कायम है।
03. यह कि रामबाई की मृत्यु हो जाने के बाद विवादित सम्पत्ति ननकोला और दरौवा के नाम ग्राम पंचायत के द्वारा नामांतरण पंजी क्र0 55 पर ग्रामसभा का प्रस्ताव क्र.0 3 के द्वारा समस्त कार्यवाही पूरी कर दिनांक 25.07.2005 को प्रस्ताव स्वीकार कर मृतक रामबाई के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पर आवेदक निगरानीकर्ता का नामांतरण स्वीकार किया गया था।

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/2395

दरौवा व अन्य विरूद्ध रामबाई उर्फ रामकली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019 11.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11-01-2019
सदस्य